न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– उत्पाद अधिहरण वाद सं0–66/2017–18 राज्य वनाम मनोज चौधरी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2017	**आदेश** यह अधिहरण वाद अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के पत्रांक 1005 दिनांक 24.07.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के पत्रांक 1005/उ0, दिनांक 24.07.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत पी0आर0 सं0–33/18.07.2017 (प्रहार बल) के वाद सं0–139 C3/17 में अवर निरीक्षक, उत्पाद श्री टुनटुन पासवान द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक काले रंग का टी0भी0एस0 मोटर साईकिल जिसका निबंधन सं0 BR34K 5957 चेचिस नं0 MD625CF17G3F63806 के डिक्की में प्लास्टिक का हरा रंग के एक बोतल में अवैध चुलाई शराब 2.00 लीटर एवं एक लीटर के एक और बोतल में भरा हुआ अवैध चुलाई शराब –1.00 लीटर कुल 3.00 लीटर अवैध शराब बरामद किया गया। जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद–बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची अवर निरीक्षक, उत्पाद, खगड़िया का संलग्न है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी मनोज चौधरी, पिता सुखदेव चौधरी ग्राम–झिकटिया थाना–महेशखूँट जिला–खगड़िया के विरूद्ध ज्ञापांक 244/डी0बी0/विधि, दिनांक 16.8.2017 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0 नं0 243/विधि, दिनांक 16.08.2017 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी को अपने अधिनस्थ थाना के माध्यम से तामिला कराने हेतु भेजा गया । अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 2080 दिनांक 08.09.2017 से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । डी0बी0नं0–217/विधि, दिनांक 03.08.17 से जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका	

received for subst. 21/09/17

सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी।

जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 1123/परि, दिनांक 04.08.2017 एवं पत्रांक 1142/परि0, दिनांक 10.08.17 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया। जिसमें अकित किया गया कि वाहन संख्या BR34K 5957 मोटर साईकिल मनोज चौधरी पिता–सुखदेव चौधरी ग्राम–झिकटिया, अंचल–गोगरी, जिला–खगड़िया के नाम से पंजीवद्ध है।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु वे जानबुझकर प्रक्रिया को बाधित करने के दृष्टिकोण से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते हैं। इस स्थिति में विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।

अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया के पत्रांक 1005/उ0 दिनांक 24.07.2017 के साथ संलग्न अधिहरण प्रस्ताव, अवर निरीक्षक, उत्पाद के प्रतिवेदन एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत एक काले रंग की टी0भी0एस0 मोटर साईकिल जिसका निवंधन संख्या BR34K 5957 चेचिस नं0 MD625CF17G3F63806 शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था। जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गयी जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58(2)के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि मोटर साईकिल का इश्तेमाल शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत वाहन BR34K 5957 चेचिस नं0 MD625CF17G3F63806 मोटर साईकिल बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है।

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR34K 5957 चेचिस नं0 MD625CF17G3F63806 मोटर साईकिल जो जप्त कर महेशखूंट थाना में रखा हुआ है, को बिहार मघ निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि

इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन BR34K 5957 चेचिस नं0 MD625CF17G3F63806 मोटर साईकिल का मोटरयान निरीक्षक खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।

3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, 19/9/17
खगड़िया।

समाहर्त्ता, 19/9/17
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 316 / विधि दिनांक 19.9.2017
प्रतिलिपि:- जिला परिवहन पदा० खगड़िया / अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया / आरक्षी अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

19/9/2017
प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा, खगड़िया
19/9/17